

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 461] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 1978/आश्विन 27, 1900
No. 461] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 1978/ASVINA 27, 1900

इस भाग में भिन्न दृष्ट संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1978

अधिसूचना

का आ. 598(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम,
1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) सतुर्ध
संशोधन नियम, 1978 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की “औद्योगिक विकास विभाग” शीर्ष के नीचे,—

(1) स्तम्भ 1 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर “1. विकास आयुक्त का कार्यालय, लघु उद्योग” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

“2. अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड

विकास आयुक्त हस्तकला/संयुक्त निदेशक (विपणन)”

[फा. सं. 23/7/78-लोक]

पी. के. कठपालिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 19th October, 1978

NOTIFICATION

S. O. 598(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Fourth Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Office Gazette.

2. In the schedule to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, under the heading “DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT”,—

(i) For the existing entry in column 1, the entry “1. Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries” shall be substituted ;

(ii) after the existing entry the following entry shall be inserted, namely :—

“2. All India Handicrafts Board.

Development Commissioner for Handicrafts/Joint-Director (Marketing)”.

[No. 23/7/78-Public]

P. K. KATHPALIA, Joint Secy.